संख्या- 9 / 3182 /चार-2014-30(बजट)13 टीसी

प्रेषक,

अनीता सी0 मेश्राम
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्क़ृति अनुभाग: लखनऊ: दिनांक 23 दिसम्बर, 2014

विषय:- सैफई महोत्सव-2014 के आयोजन हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2477/सं0नि-15 (8)/2013-14, दिनांक 16 दिसम्बर,2014 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सैफई महोत्सव-2014 के आयोजन वित्तीय वर्ष 2014-15 के मानक मद 13-सैफई महोत्सव-2014-42-अन्य व्यय में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख (रूपया एक करोड मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए श्री राज्यपाल महोदय उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर रखे जाने की सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- प्रश्नगत धनराशि का व्यय निम्नलिखित प्रस्तावित मदवार विवरण के सापेक्ष किया जायेगा:-

क्रमांक	कार्यक्रम/मदवार व्यय विवरण	प्रस्तावित व्यय (लाख रूपये में)
1	कलाकारों का मानदेय/किराया आदि	50.00
2	प्रदेश के लोक कलाकारों की प्रस्तुतियॉ - सैफई महोत्सव समिति के निर्देशानुसार	5.00
3	कलाकारों के आवास पर व्यय	2.50
4	कलाकारों के भोजन पर व्यय	2.50
5	विशिष्ट अतिथियों /कर्मचारियों के आवास, भोजन एवं यातायात पर व्यय	1.50
6	ध्वनि , प्रकाश एवं मंच व्यवस्था	25.00
7	फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी	1.00
8	ब्रोशर एवं बैनर, होर्डिंग	1.00
9	स्थानीय यातायात	3.00
10	आयोजन की पूर्व व्यवस्था	0.50
11	परिसर एवं पण्डाल की साज-सज्जा	1.00
12	मंच पर फ्लावर डेकोरेशन एवं बुके आदि	0.50

http://shasanadesh.up.nic.in

13	म्यूरल पेण्टिंग तथा रंगोली	0.50
14	अन्य प्रकीर्ण व्यय	6.00
	योग (रूपया एक करोड मात्र)	**100.00**

3- उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन प्रदान की जाती है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा और स्वीकृत मदों पर ही व्यय की जायेगी, अन्य मदों अथवा व्यय की नई मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी और स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा किया जायेगा । यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहाँ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय। उक्त आहरित धनराशि को बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के मितव्यता सम्बन्धी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में दिये गये दिशा निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानको (स्टैण्डर्ड्स आफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा।

4- उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या- 92- के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205- कला एवं संस्कृति-आयोजनेत्तर- 800- अन्य व्यय - 13- सैफई महोत्सव - 42- अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनीता सी0 मेश्राम)
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 9/3182 (1)/चार-2014 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय , उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-4

6- निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री।

7- बेव अधिकारी, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन लखनऊ ।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से ,

(मणीन्द्र शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in